न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्याः 58/13</u> निर्णय दिनांकः—04.09.2018

1. नारायण सिंह
2. नरपत सिंह

पुत्रगण बुधसिंह जाति राजपूत निवासी कतरियासर तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. श्रीमती इचू देवी बेवा प्रभू सिंह
2. मांगू सिंह
3. महेन्द्रसिंह
4. श्रीमती घेवर कंवर पत्नी मानसिंह
5. मानसिंह
6. देवीसिंह

जाति राजपूत निवासी ग्राम कतरियासर तहसील व जिला बीकानेर

7. मोहनराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी ग्राम कतरियासर तहसील व जिला बीकानेर।
8. गोविन्दराम पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी ग्राम कतरियासर तहसील व जिला बीकानेर।(फौत)

8/1. तीजा पत्नी गोविन्दराम
8/2. प्रभूराम
8/3. लक्ष्मणराम
8/4. सोहनराम
8/5. मांगीलाल
8/6. ओमप्रकाश
8/7. दुर्गा
8/8. कमला
8/9. रूकमा
8/10. विमला

पुत्र/पुत्रियॉ गोविन्दराम

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 27—05—2013
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), बीकानेर

<u>उपस्थितः</u>

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6
3. श्री सुनील भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 7,8
4. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27—05—2013 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा वादी/अपीलांट का वाद रिकार्ड व कानून के विपरीत जाकर खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत वादपत्र इस आश्य का प्रस्तुत किया गया था कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की खातेदारी भूमि वाके रोही ग्राम कतरियासर के खेत खसरा नम्बर 138 तादादी 34 बीघा 11 बिस्वा भूमि निहित है। उक्त खेत के मध्य में अथवा खेत के क्षेत्रफल में कहीं भी कोई रास्ता नहीं था ना ही हो सकता है। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 द्वारा भू—प्रबन्ध विभाग से मिलकर उपरोक्त खसरा नम्बर 138 के अक्स मे दो टुकड़ें बना दिये गये। जिसमें से एक टुकड़ा खसरा नम्बर 355 व शेष भूमि खसरा नम्बर 268 में शामिल कर दी गई।

उन्होंने आगे बताया कि भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 355 के पूर्व में व खसरा नम्बर 268 के पश्चिम में से रास्ता कटाण का अंकित कर दिया जबकि उक्त रास्ता मौके पर कभी नहीं था और ना ही आज है। यह रास्ता पुराना खसरा नम्बर 312 तादादी 2.38 हेक्टर है

जिसमें वादीगण के उक्त खेत में से निकाल कर अक्स में अंकित किया गया भाग 0.25 हेक्टर है। प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि में से रास्त कायम करने पर अमादा है। ऐसी स्थिति में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि पर रास्ता कायम करने व तहसीलदार जोकि भूमिधारक होता है वादीगण को खातेदार नहीं मानने के कारण अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष विवादित भूमि पर वादी/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को खातेदार काश्तकार धोषित करने व राजस्व नक्शा दुरूस्त करने का वाद प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा बिना रिकार्ड का अवलोकन किये व वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत पटवारी हल्का की रिपोर्ट के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि इस संबंध में अदालत मातहत के समक्ष तमाम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिससे यह साबित था कि खसरा नम्बर 138 वादीगण की खातेदारी भूमि है जिसमें कभी कोई रास्ता दर्ज नहीं है। भू–प्रबन्ध विभाग ने गलत रूप से वादीगण की भूमि के बीच में से रास्ता कायत कर दिया गया है। जिसका कतई अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग को हासिल नहीं था। मौके पर आज दिनांक को भी कोई रास्ता नहीं है। इस संबंध में संबंधित पटवारी द्वारा दिनांक 25–01–2011 को रिपोर्ट तैयार की गई। उक्त रिपोर्ट में भी मौके पर रास्ता वादीगण के खेतों में नहीं होने का तथ्य अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में सेटलमेंट विभाग द्वारा कायम किये गये नये रास्ते को निरस्त किया जावे। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि अपीलांट/वादीगण का पुराना खसरा नम्बर 138 तादादी 34 बीघा 11 बिस्वा भूमि खातेदारी रकबा है। इसके अतिरिक्त प्रथम सेटलमेंट में पुराना खसरा नम्बर 138/1 मीन का कोई खसरा ही नहीं था ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में यह अभिलिखित करना की रास्ते का नया खसरा नम्बर 312 पुराने खसरा नम्बर 138 से नहीं बनकर पुराने खसरा नम्बर 138/1 मीन से बना है राजस्व रिकार्ड के विपरीत है। जबकि प्रथम सेटलमेंट तथा इसके पश्चात् तमाम जमाबन्दीयों में पुराने खसरा नम्बर 138 तो बना हुआ परन्तु खसरा नम्बर 138/1 मीन कभी नहीं बना है। भू–प्रबन्ध विभाग को पुराने राजस्व रिकार्ड तथा प्रथम सेटलमेंट में बने नक्शे के विपरीत नया

राजस्व रिकार्ड व नक्शा बनाने व रकबा कम करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तमाम राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा राजस्व रिकार्ड व वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत पटवारी हल्का की रिपोर्ट के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील तमाम राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् पारित किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 प्रस्तुत की गई। जिसके अवलोकन से साबित है खसरा नम्बर 312 तादादी 2.38 हेक्टर भूमि गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज है। नया खसरा नम्बर 312 पुराने खसरा नम्बर 138 मीन, 137 मीन, 141 मीन, 146 मीन, 147 मीन, 151 मीन, 155 मीन, 164 मीन, 173 मीन एवं 176 मीन से बनना पाया जाता है। उक्त तथ्य मिलान क्षेत्रफल से साबित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का दावे में यह कहकर आना की वादीगण के पुराने खसरा नम्बर 138 के सेटलमेंट विभाग द्वारा दो टुकड़ें बना दिये एवं एक टुकड़ा खसरा नम्बर 355 व शेष भूमि खसरा नम्बर 268 में शामिल कर दी गई। इस प्रकार इन दोनों खसरा नम्बरान् के मध्य कटाण का रास्ता खसरा नम्बर 312 तादादी 2.38 हेक्टर अंकित कर दिया जिसमें 0.25 हेक्टर वादीगण के पुराने खसरा नम्बर 138 की खातेदारी भूमि का भाग है। स्वीकार योग्य कथन नहीं है। जबकि मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 312 तादादी 2.38 हेक्टर खसरा नम्बर 138 से नहीं बनकर खसरा नम्बर 138 मीन व अन्य खसरों से बना है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा तमाम राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् इस माना है कि वादीगण द्वारा बिना आधार के वादपत्र प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में वादीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत का निर्णय रिकार्ड के अनुसार है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 व धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत दावा बाबत धोषणात्मक एवं राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती एवं चिरनिषेधाज्ञा का पेश किया। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27—05—2013 जिसके द्वारा अपीलांट/वादीगण का दावा खारिज किया गया है के विरुद्व अपील सरकार ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि ग्राम कतरियासर के खेत खसरा नम्बर 138 तादादी 34 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादीगण/प्रतिवादीरगण संख्या 1 ता 6 की खातेदारी भूमि थी तथा मौके पर उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खेत के मध्य में अथवा खेत के क्षेत्रफल में कहीं भी कोई रास्ता नहीं था ना ही हो सकता है। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 द्वारा भू—प्रबन्ध विभाग से मिलकर उपरोक्त खसरा नम्बर 138 के अक्स मे दो टुकड़ें बना दिये गये। जिसमें से एक टुकड़ा खसरा नम्बर 355 व शेष भूमि खसरा नम्बर 268 में शामिल करते हुए भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 355 के पूर्व में व खसरा नम्बर 268 के पश्चिम में से रास्ता कटाण का अंकित कर दिया जबकि उक्त रास्ता मौके पर कभी नहीं था व आज भी कोई रास्ता अंकित नहीं है। यह रास्ता पुराना खसरा नम्बर 312 तादादी 2.38 हेक्टर है जिसमें वादीगण के उक्त खेत में से निकाल कर अक्स में अंकित किया गया भाग 0.25 हेक्टर है। जबकि सेटलमेंट विभाग को उक्त अंकन करने का अधिकार नहीं था। सेटलमेंट विभाग पूर्व के इन्द्राज को ही रिपीट कर सकता है, अपने स्तर पर कोई नया इन्द्राज करने का अधिकार सेटलमेंट विभाग को प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त इन्द्राज को विलोपित करते हुए वादगत् भूमि का अपीलांट को खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

(3) हमनें अदालत मातहत की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया। वादगत् भूमि के बाबत् पटवारी हल्का कतरियासर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 25—01—2011 का

अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि ग्राम की पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 356, 355, 346 व 279/1 से एक कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 312 जोकि रिकार्ड में दर्ज है परन्तु मौके पर कोई रास्ता चालू नहीं है। यह रास्ता करीब 20 वर्षो से बन्द पड़ा है क्योंकि ऊँचा टिब्बा होने के कारण आवागमन संभव नहीं है व इस रास्ते का आबादी से कोई संबंध नहीं है।

वर्तमान में जो रास्ता चालू है उसको लाल रंग से दर्शाया गया है जिसमें कुछ ग्राम वासियों को छोड़कर अन्य को एतराज नहीं है। यह रास्ता खसरा नम्बर 357, 354, 1442/354, 1441/353, 347 से 1250/346 में होते हुए कटानी रास्ते में चला जाता है। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट से यह साबित है कि अपीलांट/वादीगण के खातेदारी भूमि वाके रोही ग्राम कतरियासर के खेत खसरा नम्बर 138 तादादी 34 बीघा 11 बिस्वा में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है।

(4) प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि क्या भू–प्रबन्ध विभाग को रिकार्ड में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त है अथवा नहीं? व भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जो इन्द्राज किया गया है वह उनके क्षेत्राधिकार में है अथवा नहीं? इस संबंध में विधि का यह सिद्वान्त है कि भू–प्रबन्ध विभाग को मात्र एन्ट्री को रिपीट करने का अधिकार है ना कि किसी प्रकार की कोई नई एन्ट्री करने का अधिकार प्राप्त है।

(5) अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि अपीलांट/वादीगण का पुरान खसरा नम्बर 138 तादादी 34 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रथम सेटलमेंट में पुराना 138/1 मीन का कोई खसरा नहीं था अदालत मातहत द्वारा रास्ते का नया खसरा नम्बर 312 की 2. 38 हेक्टर भूमि पुराने खसरा नम्बर 138 से नहीं बनकर पुराने खसरा नम्बर 138/1 मीन से माननें में कानूनी भूल कारित की गई है। जब ग्राम वासियों के आवागमन हेतु पूर्व में ही अन्य रास्ता उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में सेटलमेंट विभाग को क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ना रास्ता कायम करने का अधिकार विधि विरूद्व कार्यवाही है।

(6) अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश उनके समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, पटवारी रिपोर्ट व मिलान क्षेत्रफल से विपरीत जाकर पारित किया गया आदेश है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट का हवाला तो अपीलाधीन आदेश में दिया गया है परन्तु आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व उक्त रिपोर्ट जिसमें कि वादगत् भूमि के बाबत् स्पष्ट रिपोर्ट अंकित थी, विपरीत जाकर आदेश पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायसंगत व तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक), बीकानेर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27—05—2013 निरस्त किया जाकर अपीलांट को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

8. निर्णय आज दिनांक 04.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर
सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर